

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 11, सोमवार, शाके 1948- जून 01, 2026 Jyaistha 11, Monday, Saka 1948- June 01, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा
अधिसूचनाएं।

खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 18, 2026

एस.ओ.09.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की
धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.18(05)खान/ग्रुप-
2/2024दिनांक 12 जून, 2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित
किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,
नम्रता वृष्णि,
विशिष्ट शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 12, 2025

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केंद्रीय अधिनियम
सं. 67) की धारा 9ख, धारा 15की उप-धारा (4) और धारा 15 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जिला खनिज
प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2025 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा और ये समस्त खनिजों पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (i) “अधिनियम” से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केंद्रीय अधिनियम सं. 67) अभिप्रेत है;
- (ii) “हिताधिकारी” से क्षेत्र में जिम्मे ली गयी खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्र और व्यक्ति अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य की न्यूमोकोनियोसिस पालिसी, 2019 के उपबंधों के अधीन अनुग्रहपूर्वक संदायों के लिए पात्र मरीज और उनके विधिक वारिस सम्मिलित हैं;
- (iii) “अंशदान” से जिले में मुख्य या गौण खनिज रियायतधारक से संगृहीत किये जाने वाला ऐसा अंशदान अभिप्रेत है जो केंद्रीय या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये;
- (iv) “जिला मजिस्ट्रेट” से जिले का जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;
- (v) “शासी परिषद” से जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के समस्त न्यासियों से मिलकर बनने वाली परिषद अभिप्रेत है;
- (vi) “सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (vii) “न्यास” से अधिनियम धारा 9ख की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास अभिप्रेत है; और
- (viii) “वर्ष” से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला और आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष या 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि का भाग अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन समानुद्दिष्ट किया गया है।

3. न्यास का कार्यालय.- न्यास का कार्यालय संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में अवस्थित होगा।

4. न्यास के उद्देश्य.- जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास का उद्देश्य, जिले में खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और फायदे के लिए इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट रीति में कार्य करना होगा।

5. नियुक्ति और घोषणा.- (1) अधिनियम की धारा 9ख के अधीन राज्य के प्रत्येक जिले के लिए गठित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास, निम्नलिखित न्यासियों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	नाम	न्यास में न्यासियों के पदनाम
1	2	3
1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष

		(न्यासी)
2.	राज्य का राज्यसभा सदस्य, उसके द्वारा चयनित जिले में	सदस्य (न्यासी)
3.	जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद के समस्त सदस्य	सदस्य (न्यासी)
4.	जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त विधानसभा सदस्य	सदस्य (न्यासी)
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य सचिव (न्यासी)
6.	जिले में पदस्थापित समस्त खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता	सदस्य (न्यासी)
7.	उप वनसंरक्षक	सदस्य (न्यासी)
8.	अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य (न्यासी)
9.	अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य (न्यासी)
10.	कोषाधिकारी	सदस्य (न्यासी)
11.	अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य (न्यासी)
12.	जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी	सदस्य (न्यासी)
13.	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य (न्यासी)
14.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य (न्यासी)
15.	उपनिदेशक, कृषि	सदस्य (न्यासी)
16.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक)	सदस्य (न्यासी)
17.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य (न्यासी)
18.	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य

		(न्यासी)
19.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी	सदस्य (न्यासी)
20.	उप निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग	सदस्य (न्यासी)
21.	निदेशक/संयुक्त निदेशक, पशुपालन	सदस्य (न्यासी)
22.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (राजीविका)	सदस्य (न्यासी)
23.	जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य (न्यासी)
24.	जिले में कार्य कर रहे खान स्वामियों के संगमों, पांच तक, के अध्यक्ष	नामनिर्दिष्ट (न्यासी)
25.	खनन संक्रियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से समुदायों के प्रतिनिधि तीन तक	नामनिर्दिष्ट (न्यासी)
26.	खनन कर्मकारों के प्रतिनिधि दो तक	नामनिर्दिष्ट (न्यासी)
27.	जिले में खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	नामनिर्दिष्ट (न्यासी)
28.	जिले में कार्य कर रहा तकनीकी खनन व्यक्ति	नामनिर्दिष्ट (न्यासी)
29.	जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक गैर-शासकीय व्यक्ति	नामनिर्दिष्ट (न्यासी)
30.	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी/ व्यक्ति	नामनिर्दिष्ट (न्यासी)

(2) न्यास के नामनिर्दिष्ट न्यासी, जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे:

परंतु खनन संक्रियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से समुदायों का प्रतिनिधि संबंधित ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) शासकीय पदनाम द्वारा नियुक्त न्यासी, उस कालावधि, जिसके दौरान वे पद धारण कर रहे हैं, न्यासी के रूप में बने रहेंगे और उन्हें न्यासी के रूप में अस्तित्व में नहीं समझा जायेगा, यदि वे एक बार उस पद को धारण करने से प्रवर्तित हो जाते हैं जिसके आधार पर वे इस प्रकार नियुक्त किये गये थे और पद में उनके उत्तरवर्ती द्वारा ऐसा पद अर्जित करने की तारीख से उनके स्थान पर न्यासी के रूप में नियुक्त किये गये समझे जायेंगे।

(4) नामनिर्दिष्ट न्यासियों के लिए नियुक्ति की अवधि, न्यासियों के रूप में उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगी और सरकार उन्हें किसी अन्य अवधि के लिए पुनः नामनिर्दिष्ट कर सकेगी या उनके स्थान पर अन्य व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परंतु ऐसे नामनिर्दिष्ट न्यासियों की अवधि प्रत्येक तीन वर्ष की दो अवधियों से अधिक नहीं होगी।

(5) सरकार किसी भी समय, किसी भी प्रवर्ग में, न्यासियों की संख्या और ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी।

(6) सरकार किसी भी समय किसी भी न्यासी को हटा सकेगी और अपने स्वविवेक से नामनिर्दिष्ट न्यासी के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी। सरकार द्वारा इस प्रकार हटाया गया न्यासी ऐसे हटाये जाने की तारीख से न्यासी नहीं रहेगा।

(7) न्यासियों का न्यास निधि पर कब्जा होगा, जिसका इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उपयोग किया जायेगा और न्यासियों को न्यासी के रूप में अवधि के दौरान, किसी भी समय और समयों पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से कोई सम्पत्ति प्रतिगृहीत करने की शक्ति होगी।

6. न्यास का प्रबंध.- (1) न्यास का प्रबंध शासी परिषद् में निहित होगा, जो न्यास के नामनिर्दिष्ट न्यासियों को सम्मिलित करते हुए समस्त न्यासियों से मिलकर बनेगी।

(2) न्यास के दिन-प्रतिदिन का प्रबंध, नियम 10 के अधीन गठित प्रबंध समिति द्वारा संचालित किया जायेगा।

7. न्यास के विनिश्चय.- (1) न्यास के समस्त विनिश्चय शासी परिषद् की बैठक में लिये जायेंगे और शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक न्यास की बैठक समझी जायेगी।

(2) शासी परिषद् के समस्त विनिश्चय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये जायेंगे और मत बराबर रहने की दशा में, बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(3) न्यासी, शासी परिषद् और प्रबंध समिति, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों इत्यादि के अनुसार कार्य करेंगे।

8. शासी परिषद् की शक्तियां और कृत्य.- (1) शासी परिषद्,-

(i) न्यास के कृत्यकरण के लिए वृहद् नीतिगत ढांचा अधिकथित करेगी और समय-समय पर अपने कार्य का पुनर्विलोकन करेगी;

(ii) न्यास के लिए पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट बनायेगी और अनुमोदन करेगी;

(iii) उपलब्ध न्यास निधि से, न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अन्य व्ययों का ऐसी रीति में, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, अनुमोदन करेगी;

(iv) प्रबंध समिति की सिफारिशें अनुमोदित करेगी;

(V) जिले में खनन संबंधी संक्रियाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों या कुटुंबों को मौद्रिक फायदे वितरित करेगी; और

(VI) प्रति वर्ष न्यास के अधीन किये गये तीन अभिनव कार्यों के लिए, सरकार द्वारा विनिश्चित मानकों के आधार पर, पुरस्कार देगी।

(2) वार्षिक कार्य योजना, वर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व शासी परिषद द्वारा तैयार और अनुमोदित की जायेगी:

परंतु यदि वार्षिक योजना और बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो अध्यक्ष को उसे तैयार और अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार और अनुमोदित वार्षिक योजना और बजट, शासी परिषद् द्वारा सम्यक रूप से तैयार और अनुमोदित किया गया समझा जायेगा।

(3) वार्षिक कार्य योजना में स्कीमों और परियोजनाओं की उनके प्रायोगिक उपबंधों सहित सूची अंतर्विष्ट होगी।

9. शासी परिषद् की बैठक.- (1) शासी परिषद् की बैठक जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार किंतु वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(2) शासी परिषद् की बैठक अध्यक्ष द्वारा बुलायी जायेगी।

(3) ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी।

10. प्रबंध समिति.- न्यास के कार्य, निम्नलिखित से मिलकर बनी प्रबंध समिति द्वारा किये जायेंगे,-

क्र.सं.	नाम	प्रबंध समिति में पदनाम
1	2	3
1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	सदस्य सचिव
3.	जिले में पदस्थापित समस्त खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता	सदस्य
4.	उप वनसंरक्षक	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
7.	कोषाधिकारी	सदस्य
8.	अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
9.	जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी	सदस्य

10.	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
11.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
12.	उप-निदेशक, कृषि	सदस्य
13.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक)	सदस्य
14.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य
15.	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
16.	जिला श्रम कल्याण अधिकारी	सदस्य
17.	उप निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग	सदस्य
18.	निदेशक/संयुक्त निदेशक, पशुपालन	सदस्य
19.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (राजीविका)	सदस्य
20.	जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य
21.	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी/व्यक्ति	सदस्य

(2) प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी और यह प्रबंध समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय के अनुसार बुलाई जायेगी।

11. प्रबंध समिति की शक्तियां और कृत्य.- प्रबंध समिति,-

- (i) न्यास के हितों के संरक्षण के लिए सम्यक तत्परता से शक्तियों का प्रयोग करेगी;
- (ii) न्यास निधि का समय पर संग्रहण सुनिश्चित करेगी;
- (iii) न्यास के क्रियाकलापों के लिए मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार करेगी;
- (iv) प्रस्तावित स्कीमों और परियोजनाओं के साथ न्यास के वार्षिक बजट/पांच वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना में विभाजित करने, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार करने में सहायता करेगी;
- (v) पांच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, वार्षिक कार्य योजना, अनुमोदित स्कीमों और परियोजनाओं के निष्पादन का पर्यवेक्षण करेगी और उसे सुनिश्चित करेगी;
- (vi) परियोजनाओं को मंजूरी देगी, उस प्रयोजन के लिए न्यास निधि को निर्मुक्त और संवितरित करेगी;
- (vii) न्यास निधि को तत्परतापूर्वक रीति में संचालित करेगी और न्यास के नाम ब्याज-वहन करने वाला पीडी खाता खोलेगी और ऐसे खाते को संचालित करेगी;
- (viii) न्यास निधियों के उपयोग की प्रगति को मानीटर करेगी;
- (ix) वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिवस के भीतर, वार्षिक रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखे शासी परिषद के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए रखेगी;

(X) ऐसे समस्त अन्य कार्य करेगी जो न्यास के निर्बाध कार्यकरण और प्रबंध के लिए आवश्यक हों; और

(X) न्यास के कृत्यकरण के लिए प्रक्रिया अधिकथित करेगी।

12. न्यास निधि.- (1) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

- (i) न्यास, जो राजस्थान जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2025 के प्रारंभ से प्रवृत्त हुआ है, के लिए सरकार द्वारा किया गया 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) का प्रारंभिक परिनिर्धारण;
- (ii) सरकार या किसी अन्य अभिकरण, संस्था या व्यक्ति से प्राप्त कोई अनुदान, अंशदान या अन्य धन;
- (iii) प्रत्येक खनिज रियायतधारक, उसे आबंटित/अनुज्ञात क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये और/या उसके भीतर, उपभुक्त किसी खनिज के संबंध में, निम्नानुसार न्यास निधि को अंशदान संदाय करेगा:-
 - (क) प्रमुख खनिजों की दशा में, खान और खनिज (जिला खनिज प्रतिष्ठान को अंशदान) नियम, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, में जैसा विनिर्दिष्ट हो; और
 - (ख) गौण खनिजों की दशा में, राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017, समय-समय पर यथा संशोधित, की द्वितीय अनुसूची के निबंधनों में संदत्त रायल्टी (उच्च पूर्णांक के किसी पूर्णांकित अंश सहित) का दस प्रतिशत;

परंतु राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 52 के उप-नियम (1क) के उपबंधों के अनुसार एम-सैण्ड इकाई में प्रयुक्त अतिभार को हटाने की दशा में, न्यास निधि को संदाय नहीं किया जायेगा।
- (iv) निक्षेप और उससे व्युत्पन्न अन्य आय पर प्रोदभूत ब्याज; और
- (v) न्यास की अन्य समस्त संपत्तियां और उनसे व्युत्पन्न अन्य आय या उसकी मूल्य वृद्धि।

(2) न्यास निधि के संदाय, एक पृथक् उप-शीर्ष के अधीन रायल्टी के साथ अग्रिम रूप से संगृहीत किये जायेंगे और न्यास के खाते में निक्षिप्त किये जायेंगे और यदि रायल्टी के निर्धारण के समय पर रकम का कोई अंतर प्रोद्भूत होता है तो उसे न्यास के खाते में तत्काल निक्षिप्त कर दिया जायेगा।

(3) जिलों में, जहां अधिक रायल्टी संग्रहण संविदा/रायल्टी संग्रहण संविदा अवार्ड की गयी है, न्यास निधि को अंशदान ऐसे ठेकेदार के माध्यम से वसूल किया जायेगा। ऐसे मामलों में, न्यास निधि के अंशदान की मासिक किश्त न्यास के खाते में उक्त ठेकेदार द्वारा निक्षिप्त की जायेगी।

(4) जहां कोई खनन पट्टा एक से अधिक जिले में आता है, वहां न्यास निधि का अंशदान उस खाते में निक्षिप्त किया जायेगा, जो ऐसे खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता, जिसके कार्यालय में

रायल्टी का निर्धारण किया जाता है, द्वारा संचालित किया जाता है। तथापि, इस प्रकार प्राप्त कुल रकम प्रत्येक जिले में आने वाले क्षेत्र के आधार पर आनुपातिक रूप से आबंटित की जायेगी।

(5) संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता, न्यास निधि के अंशदान के संग्रहण, समाधान और प्रति सत्यापन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(6) खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, खान और भू-विज्ञान विभाग, जो प्राप्ति और संवितरण के समुचित रख-रखाव के लिए नोडल अधिकारी होगा, को नियतकालिक सूचना भेजेंगे।

13. ब्याज का संदाय.- यदि अधिक रायल्टी संग्रहण संविदा/ रायल्टी संग्रहण संविदा का कोई खनिज रियायतधारक या ठेकेदार, नियम 12 के उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट निधि में अंशदान करने में विफल रहता है, तो वह

(i) मुख्य खनिजों के मामले में, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित, में यथा विनिर्दिष्ट; और

(ii) गौण खनिजों के मामले में, राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017, समय-समय पर यथा संशोधित, में यथा विनिर्दिष्ट,-

ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

14. न्यास निधि का संचालन.- (1) न्यास निधि, राजकोष में न्यास के नाम से खोले गये ब्याज-वहन करने वाले एकीकृत खाते में रखी जायेगी और खाता अध्यक्ष तथा कोषाधिकारी या प्रबंध समिति के प्राधिकृत किसी सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन संचालित होगा।

(2) प्रबंध समिति, ऐसी निधियों की लेखा बहियों का रखरखाव करेगी।

15. जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास का विस्तार.- (1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (प्र.मं.ख.क्षे.क.यो.) और राज्य या केंद्रीय सरकार सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमें, संबंधित जिलों के न्यास द्वारा न्यास को प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करते हुए क्रियान्वित की जायेगी।

(2) प्र.मं.ख.क्षे.क.यो. और राज्य तथा केंद्रीय सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के समग्र उद्देश्य होंगे,-

(i) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, और ये परियोजनाएं/कार्यक्रम, राज्य और केंद्रीय सरकार की वर्तमान में चल रही स्कीमों/परियोजनाओं की पूरक होंगी;

(ii) खनन जिलों में पर्यावरण, व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर, खनन के दौरान और उसके पश्चात होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून/शमन करना; और

(iii) खनन क्षेत्र में प्रभावित व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक संधारणीय जीविका सुनिश्चित करना।

(3) प्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र और प्र.मं.ख.क्षे.क.यो. और राज्य तथा केंद्रीय सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अधीन आने वाले व्यक्ति निम्नानुसार होंगे,-

- (i) ग्राम और ग्राम पंचायतें या नगरीय स्थानिय निकाय, जिनके भीतर खानें अवस्थित और परिचालित हों। ऐसे खनन क्षेत्र पड़ोसी ग्राम/शहर, ब्लॉक या जिले या राज्य में भी विस्तारित किये जा सकेंगे।
- (ii) किसी खान या खानों के समूह से पन्द्रह किलोमीटर की परिधि के भीतर का कोई क्षेत्र: परंतु जहां राजस्व ग्राम का कोई भाग पन्द्रह किलोमीटर की परिधि के भीतर आता है, राजस्व ग्राम का संपूर्ण क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र के रूप में समझा जायेगा;
- (iii) ग्राम/वार्ड, जिनमें खानों द्वारा विस्थापित किये गये कुटुंबों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा, फिर से बसाया/पुनर्वासित किया गया है; और
- (iv) ऐसे ग्राम/वार्ड, जो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्रों पर प्रमुखता से निर्भर हैं और जो परियोजना क्षेत्रों पर भोगाधिकार और पारम्परिक अधिकार रखते हैं, उदाहरण के लिए, चराई के लिए, गौण वन उत्पादों के संग्रह के लिए इत्यादि, प्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र समझा जायेगा।

(4) अप्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र और प्र.मं.ख.क्षे.क.यो. और राज्य तथा केंद्रीय सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अधीन आने वाले व्यक्ति निम्नानुसार होंगे.-

- (i) क्षेत्र जहां स्थानीय जनसंख्या, खनन संबंधी संक्रियाओं के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। खनन के मुख्य नकारात्मक प्रभाव जल, मृदा और वायु की गुणवत्ता में क्षय, झरनों की कमी और खनन संक्रियाओं, खनिजों का परिवहन, विद्यमान अवसंरचना और संसाधनों पर बड़े हुए बोझ के कारण जलधारा प्रवाह में कमी से हो सकते हैं और भू-जल के ह्रास, संकुलन और प्रदूषण के रूप में हो सकते हैं; और
- (ii) किसी खान या खानों के समूह से पच्चीस किलोमीटर की परिधि के भीतर और प्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र से परे का कोई क्षेत्र, इस बात को विचार में लाये बिना कि यह संबंधित जिले या निकटवर्ती जिले के भीतर आता है या नहीं:
परंतु जहां किसी राजस्व ग्राम का कोई भाग, पच्चीस किलोमीटर की परिधि के भीतर आता है, राजस्व ग्राम का समस्त क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र के रूप में समझा जायेगा।

(5) न्यास, इन नियमों के प्रारंभ से तीन मास के भीतर प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्रों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और संधारित करेगा। ऐसे प्रभावित क्षेत्रों की सूची न्यास द्वारा प्रत्येक छह मास पर अद्यतन की जायेगी।

(6) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र, खान या खानों के समूह से क्रमशः पंद्रह किलोमीटर या पच्चीस किलोमीटर की परिधि से परे, किंतु जिले की सीमा के भीतर, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से और संबंधित खण्ड आयुक्त से अनुमोदन के पश्चात विस्तारित किये जा सकेंगे:

परंतु उर्पयुक्त विस्तारित क्षेत्र में व्यय प्रत्यक्षतः प्रभावित और अप्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्र के कुल व्यय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(7) निम्नलिखित को प्रत्यक्षतः प्रभावित व्यक्तियों के रूप में सम्मिलित किया जायेगा:-

(i) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (ग) के अधीन यथा परिभाषित 'प्रभावित कुटुंब';

(ii) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (ट) के अधीन परिभाषित 'विस्थापित कुटुंब';

(iii) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित ग्राम सभा/नगरीय स्थानिय निकाय द्वारा समुचित रूप से यथा परिलक्षित कोई अन्य व्यक्ति।

(iv) व्यक्ति, जो खनन की जाने वाली भूमि पर विधिक और वृत्तिक अधिकार रखते हैं, वे जो भोगाधिकार और पारंपरिक अधिकार रखते हैं, और वो जिनकी जीवनचर्या खनन के कारण प्रभावित होती है।

(8) प्रभावित कुटुंब, जहां तक संभव हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम सभा/नगरीय स्थानिय निकाय के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से परिलक्षित किये जायेंगे।

(9) न्यास, राज्य की न्यूमोकोनियोसिस पालिसी, 2019 के उपबंधों के अधीन पात्र मरीजों और उनके विधिक वारिसों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका संधारण करेगा। सूची प्रति वर्ष अद्यतन की जायेगी।

(16) न्यास निधि का उपयोग.- (1) निधि का कम से कम सत्तर प्रतिशत निम्नलिखित उच्च पूर्विकता वाले क्षेत्र के अधीन उपयोग किया जायेगा:

(i) पेयजल की आपूर्ति:

केंद्रीयकृत शोधन प्रणाली, जल प्रशोधन संयंत्र, पेयजल के लिए एकल आधार सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए स्थायी/अस्थायी जल संवितरण तंत्र, जल आपूर्ति प्रणाली के लिए पाइप बिछाना;

(ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय:

बहिःस्राव उपचार संयंत्र, क्षेत्र में जलधाराओं, झीलों, तालाबों, भू-जल, अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण का निवारण, खनन संक्रियाओं और अपशिष्ट द्वारा कारित, वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय, खान जल-निकास की प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकियाँ और चालू या परित्यक्त खानों के लिए खनन क्षेत्रों का पुनःस्थापन, पुनरूद्धार और पुनर्वासन, खानों के सतत विकास और पर्यावरण के लिए अपेक्षित अन्य वायु, जल और सतह प्रदूषण नियन्त्रण यंत्र विन्यास, पर्यावरण के संरक्षण के लिए अवैध खनन/परिवहन को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी अवसंरचना और प्रदूषण नियंत्रण उपाय। खनिज-विशिष्ट प्रदूषकों और उनकी परिसंकटमय क्षमता की पहचान प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं/अनुसंधान संस्थाओं को अंतर्वलित करके की जा सकेगी, संकटों की पहचान, वायु गुणवत्ता मानिटर और प्रदर्शक लगाना और अनुसंधान की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उपाय करने का जिम्मा लेना;

(iii) स्वास्थ्य देखभाल:

- (क) ऐसे व्यक्तियों, जिनका स्वास्थ्य खनन के कारण प्रभावित हुआ है, प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन, आवश्यक स्टाफ (डाक्टर/पैरामेडिकल/सहायक स्टाफ), उपकरण और ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाये जाने के लिए अपेक्षित आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित होगा;
- (ख) स्थानिय निकायों, राज्य और केंद्रीय सरकार की विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के साथ अभिसरण में पूरक और कार्य करने के लिए प्रयास होंगे। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान के पास उपलब्ध दक्षता को खनन से संबंधित रोगों और बीमारियों, खनन प्रभावित क्षेत्रों में चल स्वास्थ्य देखभाल इकाईयों की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना तैयार करने में उपयोग किया जा सकेगा। खनन प्रभावित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए समूह बीमा योजना कार्यान्वित की जा सकेगी; और
- (ग) खनन संक्रियाओं से संबंधित स्वास्थ्य के खतरों से प्रभावित स्थानीय खान कर्मकारों के कल्याण, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के सुधार और सुरक्षा के लिए, राज्य की न्यूमोकोनियोसिस पालिसी, 2019 के उपबंधों के अधीन पात्र मरीजों/उनके विधिक वारिसों को अनुग्रह राशि के लिए, नियमित स्वास्थ्य जांच शिविरों, जागरूकता शिविरों, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रमों के लिए निधियों का उपयोग किया जा सकेगा:

परन्तु उपर्युक्त खण्ड खण्ड में (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित परियोजनाएं और क्रियाकलाप या तो निर्माण प्रचालन और अंतरण आधार पर

या एकल बिन्दु संविदा सेवाओं पर किये जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए कोई भी अस्थायी या स्थायी पद सृजित नहीं किया जायेगा;

(iv) शिक्षा:

विद्यालय/महाविद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों भवनों, अतिरिक्त अध्ययन कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शिल्प कक्षाओं, शौचालय खण्डों, पेयजल व्यवस्था, आवासीय विद्यालयों, प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों और दूरस्थ क्षेत्रों में अध्यापकों के लिए आवासीय छात्रावासों का निर्माण, खेल अवसंरचना, अध्यापकों/अन्य सहायक कर्मचारिवृन्दों को लगाना, ई-लर्निंग सैट अप, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साइकिल/रिक्शा इत्यादि) और पोषण संबंधी कार्यक्रमों की अन्य व्यवस्था। उच्चतर शिक्षा के लिए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता;

(v) महिला एवं बाल कल्याण:

मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य की समस्याओं, कुपोषण, संक्रामक बीमारियों, इत्यादि के लिए विशेष कार्यक्रम;

(vi) वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण:

वृद्ध एवं दिव्यांगजन के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम और चिकित्सकिय सहायता और जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों को वित्तीय सहायता;

(vii) कौशल विकास और आजीविका के अवसर सृजित करना:

स्थानिय पात्र व्यक्तियों के लिए आजीविका सहायता, आय सृजित करने और आर्थिक क्रियाकलापों के लिए कौशल विकास। परियोजनाओं/स्कीमों में प्रशिक्षण, प्रशिक्षण किट, कौशल विकास केंद्र का विकास, इनक्यूबेशन केंद्र, स्व-रोजगार स्कीमों, स्वयं-सहायता समूहों को समर्थन और ऐसे स्वरोजगार आर्थिक क्रियाकलापों के लिए पूर्व और पश्चात के संयोजनों की व्यवस्था, प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की कला और शिल्पों के सुधार और प्रदर्शन के लिए क्रियाकलापों और गौण वन उत्पाद के संग्रहण और प्रक्रिया को सम्मिलित किया जा सकेगा;

(viii) स्वच्छता:

अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और व्ययन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, समुचित जल निकास और मल-प्रवाह उपचार संयंत्र की व्यवस्था, मल कीचड़ के

व्ययन के लिए व्यवस्था, शौचालयों और संबंधित अन्य क्रियाकलापों की व्यवस्था;

(ix) आवासन:

केंद्रीय या राज्य स्कीमों के अधीन नहीं आने वाले खनन प्रभावित व्यक्तियों के लिए पक्के आवास की व्यवस्था;

(x) कृषि:

कृषि, उद्यान-कृषि और कृषि वानिकी से संबंधित क्रियाकलाप। प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों को सहायता, किसान उत्पादक संगठनों/संग्रहकों/सहकारी संस्थाओं को समर्थन, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, कोल्ड स्टोरेज, विपणन सुविधाओं जैसे की मार्केट याडों, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए स्टोरेज स्थापित करना; वृक्षारोपण, औषधीय जड़ी-बूटियों का प्रसंस्करण; और

(xi) पशुपालन:

पशुधन, कुक्कुट-पालन, सुअर-पालन, मत्स्य पालन, दाना और चारा विकास संवर्धन और पशुपालन, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं-सहायता समूहों, किसान सहकारिता संगठनों में सहायक नवाचार का समर्थन।

(2) न्यास निधि का तीस प्रतिशत तक निम्नलिखित अन्य प्राथमिकता वाले सेक्टरों के अधीन उपयोग में लिया जायेगा:-

(i) भौतिक अवसंरचना:

अपेक्षित भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराना जैसे कि सड़क, पुल, रेल और जलमार्ग परियोजनाएं;

(ii) सिंचाई:

चैक बांध और वीयर डायवर्जन को सम्मिलित करते हुए सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना, सिंचाई की उपयुक्त और उन्नत तकनीकें अपनाना, ड्रिप सिंचाई को सम्मिलित करते हुए सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता, बोरवेल और पंप ऊर्जाकरण के लिए सहायता;

(iii) ऊर्जा और वाटरशैड विकास:

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों (माइक्रो-हाइडल, विकेंद्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय स्रोतों को सम्मिलित करते हुए) और वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास। बाग-बगीचों, एकीकृत कृषि और कृषि वानिकी का विकास और जलग्रहण क्षेत्रों का प्रत्यावर्तन; और

(iv) खनन प्रभावित जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

(3) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, समय-समय पर, किसी अन्य क्षेत्र को उच्च पूर्विकता वाले क्षेत्र और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

(4) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध:

(i) अनुसूचित क्षेत्रों में निधि के उपयोग के लिए अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी संविधान के अनुच्छेद 244 के साथ पठित अनुसूची 5 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित की जायेगी; और

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर अवस्थित खनन द्वारा प्रभावित गांवों के संबंध में:

(क) ग्राम सभा का अनुमोदन समस्त योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं तथा इन नियमों के अधीन हिताधिकारियों की पहचान के लिए अपेक्षित होगा; और

(ख) संबंधित ग्राम में न्यास के अधीन जिम्मे लिये गये कार्यों पर रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात ग्राम सभा को प्रस्तुत की जायेगी।

17. सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत.- (1) इन नियमों के अधीन किये जाने वाले विकासात्मक और कल्याणकारी क्रियाकलाप, यथासंभव, राज्य के साथ-साथ केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित चालू स्कीमों/परियोजनाओं के पूरक की प्रकृति में होंगे। "Polluter Pays Principle" के अधीन किये जाने वाले क्रियाकलाप न्यास द्वारा किसी भी स्कीम के अधीन नहीं किये जाने जायेंगे। यह खनन प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चल रही केंद्रीय और राज्य की स्कीमों के अभिसरण पर केंद्रित होगा। न्यास आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अधीन लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्राथमिकता देगा।

(2) न्यास पचास करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक संग्रहण होने पर योजना, तकनीक, लेखा और मानिट्रिंग सहायता के लिए परियोजना प्रबंध इकाई (पीएमयू) स्थापित कर सकेगी। ऐसे पीएमयू की लागत प्रशासनिक व्ययों से पूर्ण की जायेगी। पीएमयू संविदात्मक आधार पर अपेक्षित अर्हित श्रमशक्ति लगा सकेगी। न्यास के अधीन परियोजनाओं के लिए लगाये गये कार्मिक केवल सीमित कालावधि के लिए पूर्ण रूप से संविदात्मक होंगे।

(3) दस करोड़ या अधिक रुपये के वार्षिक संग्रहण वाले जिले, भविष्य के आवर्ती व्ययों के लिए विन्यास निधि संधारित करेंगे। वार्षिक प्राप्तियों के दस प्रतिशत से अनधिक की युक्तियुक्त राशि, सतत् आजीविका उपलब्ध करवाने के लिए विन्यास निधि में निक्षिप्त की जायेगी। विन्यास निधि सरकारी प्रतिभूतियों/बांड और राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीद और राज्य सरकार द्वारा यथा अनुज्ञात अन्य लिखित को निहित होगी। विन्यास निधि, उन क्षेत्रों में जहां खनन क्रियाकलाप, खनिजों के शून्यीकरण को सम्मिलित करते हुए किसी कारण से रोक दी गयी है, सतत् आजीविका और सृजन के लिए उपयोग की जायेगी।

(4) कोई परियोजना, जो प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति के फायदे के लिए है, किंतु जिले की भौगोलिक सीमा से बाहर तक फैलाव है, को राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किये जाने के पश्चात, न्यास के अधीन लिया जायेगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा उपापनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये जाने के पश्चात, न्यास द्वारा कार्य/माल उपाप्त किया जा सकेगा। माल और सेवाओं का उपापन, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा। कार्य का निष्पादन संबंधित कार्यपालक अभिकरणों के लेखा नियमों या सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्हीं विनिर्दिष्ट नियमों के उपबंधों अनुसार किया जायेगा।

(6) न्यास अपनी निधियों को रखने के लिए राजकोष में एक जिला स्तरीय एकीकृत पीडी खाता संधारित करेगा। समस्त प्राप्तियां इस खाते में जमा की जायेगी। कार्यपालक अभिकरण को ऐसे एकीकृत पीडी के अधीन कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में पदाभिहित किया जायेगा और वित्तीय सीमा, अनुमोदनानुसार जारी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के अनुसार उनको अनुज्ञात की जायेगी। वैयक्तिक हिताधिकारी के मामले में या शासी परिषद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित प्रत्यक्ष फायदा अंतरण के मामलों में या न्यास द्वारा सेवाएं भाड़े पर लेने के मामले में, ये सम्यक प्रक्रियानुसार संबंधित बैंक खातों में प्रत्यक्षतः संदत्त किये जायेंगे। नोडल अधिकारी आज्ञापक रूप से एकीकृत पीडी खाता की प्राप्ति व्यय और अधिशेष का राजकोष लेखा से दैनिक रूप से मिलान करेगा।

(7) न्यास, इसके संचालन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित रीति से न्यास निधि का उपयोग कर सकेगा:-

- (i) न्यास की वार्षिक प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम न्यास के प्रशासनिक, पर्यवेक्षणीय और उपरिलागत के लिए उपयोग में ली जा सकेगी; और
- (ii) न्यास के अधीन कोई भी अस्थायी/स्थायी पद सृजित नहीं किया जाएगा। न्यास द्वारा किसी भी अस्थायी/स्थायी पद के सृजन और यान के क्रय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। तथापि, न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ संविदात्मक आधार पर लगाया जायेगा।

18. पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना.-

- (1) प्रत्येक जिले में परिप्रेक्ष्य योजना विनिर्मिति के लिए शैक्षिक संस्थाओं/विख्यात संगठनों/अभिकरणों के माध्यम से आधारभूत सर्वेक्षण संचालित किया जायेगा। ग्राम सभा/स्थानीय निकाय आवश्यक निर्धारण रिपोर्टों की तैयारी में सहायता कर सकेंगे। न्यास को किसी संबंधित विभाग द्वारा जिम्मे लिये गये आधारभूत सर्वेक्षण, यदि उपलब्ध हो, का अधिमानतः उपयोग करना चाहिए। सर्वेक्षण के निर्देश और मुख्य निष्कर्ष जिले के लिए परिप्रेक्ष्य योजना में सम्मिलित किये जायेंगे।
- (2) आधारभूत सर्वेक्षण या किसी ऐसे सर्वेक्षण/निर्धारण के माध्यम से पहचान किये गये निष्कर्षों और कमियों के आधार पर न्यास, पांच वर्ष के लिए योजना तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा।
- (3) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, उपलब्ध और पांच वर्ष की कालावधि पर न्यास को संभवतः प्रोदभूत होने वाले चालू अधिशेष को विचार में रखते हुए तैयार की जायेगी।
- (4) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, वर्ष-वार कार्य योजनाओं में विभाजित होगी।
- (5) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना में समस्त प्राथमिक सेक्टरों जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, इत्यादि और अन्य सेक्टर जैसे सड़कें, सिंचाई इत्यादि विभिन्न भाग होंगे।
- (6) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जायेगी और न्यास की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- (7) शासी परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष अनुमोदित किये जाने वाली न्यास की वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और पूर्ववर्ती वर्षों में इसके लक्ष्यों को पूर्ण करने में प्राप्त सफलता के आधार पर होंगी:

परंतु आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय, पूर्व प्रतिबद्धता और दायित्वों की अधिकता की कुल राशि का निर्धारण किया जायेगा। परियोजनाओं के वित्तीय अनुशासन और समय पर पूर्णता को बनाये रखने के लिए, पूर्व दायित्व और प्रतिबद्धता तथा प्रस्तावित की जाने वाली नई स्कीमों की कुल राशि किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित नकद प्रवाह के तीन गुना से अधिक नहीं होगी।

- (8) वार्षिक योजना में प्रकृति में आवश्यक माने जाने वाले कुछ अन्य संकर्म और व्यय सम्मिलित हो सकेंगे हालांकि वार्षिक योजना का अधिकतम दस प्रतिशत परिप्रेक्ष्य योजना में सम्मिलित नहीं होगा।
- (9) सरकार आधारभूत सर्वेक्षण संचालित करने और पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए विख्यात संगठनों/अभिकरणों/विश्वविद्यालयों को पैनल में रख सकेगी।

19. प्रस्ताव के निष्पादन के लिए लगाये जाने वाले अभिकरण.- (1) न्यास, सरकार के किसी भी अभिकरण को नियुक्त कर सकेगा और ऐसे अभिकरण के माध्यम से किये जाने वाले कोई विशेष प्रस्ताव/परियोजना समनुदेशित कर सकेगा।

- (2) न्यास अर्हित अभिकरणों जैसे गैर-सरकारी संगठन, जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, को भी पैनल में रख सकेगा। तथापि, यथासंभव, उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अभिकरण को पूर्विकता दी जायेगी।

20. व्ययों को प्रभारित करना.- न्यासी, न्यास निधि से निम्नलिखित व्ययों को प्रभारित करने के हकदार होंगे, अर्थात्:-

- (i) न्यास के संचालन या निष्पादन में और न्यास निधि में समाविष्ट विनिधानों और आस्तियों के आपन, परिरक्षण या फायदे के लिए और न्यास के हितों की सुरक्षा के लिए उपगत समस्त व्यय;
- (ii) अंशदानों और या किन्हीं अन्य स्रोतों, जो प्रोद्भूत हों, को अभिप्राप्त करने के लिए न्यासियों द्वारा उपगत समस्त व्यय (किसी करार या अन्य विलेखों के निष्पादन और/या रजिस्ट्रीकरण के आनुषंगिक व्ययों को सम्मिलित करते हुए);
- (iii) किसी विधि सलाहकार की वृत्तिक फीस और लागत को सम्मिलित करते हुए, न्यास के कार्यों से संबंधित न्यासी द्वारा या उसके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के संबंध में समस्त व्यय;
- (iv) न्यास के कार्यों के संबंध में संदत्त/संदेय समस्त उद्ग्रहणों, शुल्कों और अन्य प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, न्यास के संचालन या निष्पादन में उपगत समस्त विधिक और कानूनी व्यय;
- (v) सरकार के मानकों के अनुसार इसकी बैठकें आयोजित करने और अन्य कार्यवाहियों के संबंध में समस्त व्यय; और
- (vi) न्यासी, उनकी सेवाओं के लिए किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।

21. निधि के अंतरण पर निर्बंधन.- (1) अधिनियम की धारा 9ख के उपबंध, न्यास द्वारा निधि के उपयोग के संबंध में कठोरता से लागू होंगे।

- (2) कोई निधि, न्यास से राज्य राजकोष या राज्य स्तरीय निधि या मुख्यमंत्री सहायता निधि या किसी अन्य निधि या स्कीमों में किसी भी रीति से अंतरित नहीं की जायेगी।
- (3) न्यास निधि में से कोई व्यय सरकार या अन्य सरकारी स्तर के अभिकरण द्वारा राज्य स्तर पर मंजूर या अनुमोदित नहीं किया जायेगा।
- (4) कोई भी निधि जिले के भीतर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभावित क्षेत्रों से बाहर या इन नियमों में यथापरिभाषित प्रभावित व्यक्तियों से भिन्न के लिए खर्च नहीं की जायेगी।
- (5) कोई भी निधि, नियम 12 के उप-नियम (4) में यथा वर्णित को छोड़कर, एक जिले से अन्य जिले को किसी भी रीति में अंतरित नहीं की जाएगी।
- (6) न्यास से निधियों के व्यय का अनुमोदन पूर्णतः न्यास की शासी परिषद में निहित होगा। सरकार और राज्य स्तरीय समिति का परियोजनाओं की मंजूरी, निधि/व्यय के अनुमोदन पर व्यापक प्राधिकार नहीं होगा और उनके कृत्य इन नियमों के अधीन परियोजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन तक सीमित होंगे।

22. राज्य स्तरीय मानिट्रिंग समिति.- (1) न्यास को कार्यसंपादन और न्यास के पारदर्शिता मानकों, संपरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट की अनुपालना की मानिट्रिंग के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली राज्य स्तरीय मानिट्रिंग समिति होगी.-

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	2	3
1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	खान एवं पेट्रोलियम विभाग का प्रभारी शासन सचिव	उपाध्यक्ष
3.	खान मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
5.	वन विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
6.	सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
7.	जल संसाधन विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
8.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
9.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
10.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
11.	तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
12.	प्रारंभिक शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
13.	आयोजना विभाग का प्रभारी शासन सचिव	सदस्य
14.	निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग	सदस्य
15.	अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित कोई अन्य अधिकारी	सदस्य

(2) न्यास के क्रियाकलापों की मानिट्रिंग के लिए निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान में "राज्य स्तरीय नोडल डीएमएफ सैल" के नाम से एक सैल होगा। राज्य स्तरीय नोडल डीएमएफ सैल, राज्य स्तरीय मानिट्रिंग समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

(3) राज्य स्तरीय मानिट्रिंग समिति न्यास के कार्य संपादन और न्यास के पारदर्शिता मानकों, संपरीक्षा और वार्षिक अभिलेखों की अनुपालना मानिटर करेगी।

(4) राज्य स्तरीय मानिट्रिंग समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

23. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रति वर्ष, न्यास संबंधित वित्तीय वर्ष के अपने क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे न्यास के समक्ष रखेगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट, न्यास द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से एक मास के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और न्यास की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

(3) प्रत्येक न्यास की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

24. लेखा और संपरीक्षा.- (1) प्रबंध समिति, न्यास के कार्यों की सही और ऋजु तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए न्यास निधि के संबंध में उचित लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अभिलेखों को संधारित करेगी/संधारित करवायेगी। लेखा पुस्तकें, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (जीएफ एण्ड एआर) या इस निमित्त सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं विशिष्ट नियमों के उपबन्धों अनुसार संधारित की जायेंगी।

(2) न्यास के खाते नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनिश्चित समयानुसार, नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे।

(3) न्यास के लेखे, शासी परिषद् की बैठक में, राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित लेखापरीक्षकों की अनुमोदित सूची से न्यास द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रति वर्ष ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो न्यास द्वारा विनिश्चित की जायें, संपरीक्षित किये जायेंगे। लेखापरीक्षक, महालेखाकार के परामर्श से न्यास द्वारा हटाये और प्रतिस्थापित किये जा सकेंगे। उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के साथ लोकाधिकारी क्षेत्र में प्रदर्शित की जायेगी।

(4) उप-नियम (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार ऐसे निबंधनों पर जो वह विनिश्चित करे, किसी विशिष्ट वर्ष या कालावधि की संपरीक्षा के लिए सरकार किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों को नियुक्त कर सकेगी या राज्य के महालेखाकार से निवेदन कर सकेगी।

25. पारदर्शिता और जवाबदेही.- (1) प्रत्येक न्यास एक वेबसाइट/या जिला प्रशासन की वेबसाइट पर एक विशिष्ट अनुभाग तैयार और संधारित करेगा, जिस पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की जायेगी और अद्यतन रखी जायेगी :-

- (i) न्यास के शासी परिषद् और प्रबंध समिति के गठन के ब्यौरे;
- (ii) खनन से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची;
- (iii) खनिज रियायत धारकों/संविदाकारों और अन्यो से प्राप्त समस्त अंशदानों के तिमाही ब्यौरे;
- (iv) न्यास की समस्त बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त और रिपोर्टों पर की गयी कार्रवाई;
- (v) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, विन्यास निधि के विनिधान के ब्यौरे, वार्षिक योजनाएं और बजट, कार्यादेश और दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर वार्षिक रिपोर्ट;
- (vi) चालू संकर्मों की ऑनलाईन स्थिति- इन नियमों के अधीन जिम्मे ली गयी समस्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति/प्रगति को, कार्य के विवरण,

हिताधिकारियों के ब्यौरे, प्राक्कलित लागत, क्रियान्वयन अभिकरणों के नाम, कार्य प्रारंभ करने और पूर्ण होने की संभावित तारीख, पूर्व तिमाही तक की वित्तीय और भौतिक प्रगति इत्यादि को सम्मिलित करते हुए, वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जायेगा ;

(vi) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों की सूची; और

(vii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

(2) न्यास, परियोजना स्थल पर सूचना पट्ट पर मंजूर की गयी परियोजना और राशि का वर्णन प्रदर्शित करेगा।

(3) इन नियमों के अधीन क्रियान्वित स्कीमों के संबंध में जागरूक करने के लिए सोशल मिडिया, फिल्मों, विडियो इत्यादि के माध्यम से न्यास द्वारा सूचना, शिक्षा और संसूचना क्रियाकलाप संचालित किए जाएंगे।

(4) न्यास, समय-समय पर, निधियों के निक्षेप और कार्य के कार्यान्वयन को सम्मिलित करते हुए न्यास के कार्यसंपादन से संबंधित सूचना सरकार से साझा करेगा।

26. प्रशासनिक व्यवस्था.- (1) सरकार, न्यास के प्रबंध और वार्षिक योजना के निष्पादन के लिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् के कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की यथा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध करवायेगी।

(2) न्यास को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए न्यास, सरकार से इसके विभागों से कोर कार्मिकों या ऐसे अन्य काडर के नियमित कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध करवाने का निवेदन कर सकेगा। ऐसे कार्मिकों की सेवाएं उनके अपने संबंधित काडर में निरंतर बनी रहेंगी।

(3) न्यास सेवा प्रदाताओं से ऐसी सेवाएं, जो न्यास के सुचारु कृत्यकरण के लिए आवश्यक हैं, उपलब्ध करवाने को बोल सकेगा और इसके कृत्यकरण के लिए आकस्मिक व्यय उपगत करने का प्रबंध कर सकेगा।

27. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण.- (1) न्यासी, सम्यक तत्परता से सद्भावपूर्वक किये गये किसी कार्य के लिए दायी नहीं होंगे। न्यासी, किसी बैंकर, दलाल, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति के प्रति भी दायी या उत्तदायी नहीं होंगे, जिसके हाथों में, ना तो न्यास निधि के किन्हीं विनिधानों के मूल्य में कमी या अपर्याप्तता के लिए और ना ही अन्यथा किसी अस्वैच्छिक हानि के लिए सद्भावपूर्वक इसे निक्षिप्त या रखा जाये।

(2) न्यासी और प्रत्येक एटॉर्नी या, न्यासियों द्वारा नियुक्त किया गया अभिकर्ता न्यास या किन्हीं शक्तियों, प्राधिकारों, और घोर उपेक्षा और/या जानबूझकर किये गये दुराचार से उत्पन्न से भिन्न उनमें निहित या उन्हें प्रत्यायोजित विवेकाधिकार के कार्यान्वयन में समस्त दायित्वों, हानियों और

उपगत व्ययों के संबंध में न्यास निधि में से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे, तथापि ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में, अंशदानों के योग से अधिक नहीं होगी।

28. प्रतिषेध.- सरकार कार्यों के किसी प्रकार, या संकर्मों, जो न्यास से उद्देश्यों से पूर्ण करने के लिए फायदेमंद नहीं है, प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

29. निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की सरकार की शक्ति.- सरकार समय-समय पर, ऐसे निदेश और अनुदेश/मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों और ऐसे निदेश और अनुदेश/मार्गदर्शक सिद्धांत की समस्त न्यासों द्वारा पालना की जाएगी।

30. शिकायत निवारण.- (1) न्यास एक शिकायत निवारण तंत्र बनायेगा और क्रियान्वित करेगा ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और जिला मजिस्ट्रेट या यथा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को किये गये परिवाद से तीस दिन के भीतर परिवादी को उचित प्रत्युत्तर देगा।

(2) सरकार, किसी परिवादी/लोक शिकायत की प्राप्ति पर, सुनिश्चित करेगी कि न्यास द्वारा प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जाए और उचित समय-सीमा के भीतर परिवादी को उचित प्रत्युत्तर दिया जाये।

31. अनुपालन तंत्र.- यदि न्यास,-

- (i) नियम 17 के उप-नियम (3) के अनुसार विन्यास निधि संधारित करने में असफल रहता है;
- (ii) नियम 21 के अतिक्रमण में कोई निधि अंतरित करता है;
- (iii) नियम 23 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करने में असफल रहता है;
- (iv) नियम 24 के अनुसार लेखे संपरीक्षित करवाने में असफल रहता है;
- (v) नियम 25 के उपबंधों में से किसी का पालन करने में असफल रहता है; और
- (vi) नियम 29 में सरकार के निदेशों का अनुसरण करने में असफल रहता है;

तो सरकार,-

- (i) किसी या समस्त नये संकर्मों की मंजूरी या किसी अथवा पहले ही स्वीकृत समस्त कार्यों का निष्पादन निलंबित कर सकेगी और/या बैंक/बैंकों, जहां न्यास निधि निक्षिप्त है, द्वारा किसी या समस्त संकर्मों के लिए न्यास निधि की निर्मुक्ति या निष्पादन अभिकरणों के बैंक खाते जहां निधि न्यास द्वारा अंतरित की जाती है निलंबित कर सकेगी; और
- (ii) यह समाधान होने के पश्चात् कि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, ऐसे निलंबन को प्रत्याहृत कर सकेगी।

32. निरसन और व्यावृत्तियां.- राजस्थान जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के उपबंधों के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।

[सं.प.18(05)खान/गुप-2/2024]

राज्यपाल के आदेश से,

आशु चौधरी,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.